न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–02/2014/भीलवाड़ा (2014/00023)

1. शांतिदेवी पत्नि कन्हैयालाल रेगर, निवासी बदनोर, तहसील आसींद, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. मांगू वल्द बगतावर गुजर, नि0 बलेव, तह0 आसींद, जिला भीलवाड़ा ।
2. मु0 बरदी पुत्री माना गुजर, नि0 बलेव, तह0 आसींद, जिला भीलवाड़ा ।
3. भोजा वल्द जाला गुजर, नि0 बलेव, तह0 आसींद, जिला भीलवाड़ा ।
4. सरपंच ग्राम पंचायत भोजपुरा, तह0 आसींद, जिला भीलवाड़ा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आसींद, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम–195 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, आसींद, जिला भीलवाड़ा दिनांक 21.3.2012 .

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री बसंत विजयवर्गीय, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. रेस्पो0 संख्या 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, आसींद, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.3.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0 के तहत दिनांक 2.3.2012 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलेव पटवार हल्का भोजपुरा तह0 आसींद के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 तक में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता भूरा ढोली के नाम साबिक आराजी नंबर 423 व 424 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि खातेदारी के रूप

में दर्ज थी । खातेदार की मृत्यु उपरांत विरासत का इंतकाल भूरा के पुत्र जेठू के नाम इंतकाल संख्या 72 दिनांक 10.6.1972 को स्वीकृत होकर जेठू के नाम खातेदारी से दर्ज हुई तत्पश्चात् सहमति से उपरोक्त समस्त खातेदारी आराजियात में जेठू के अलावा हीरा पिता भूरा ढोली भी खातेदार के रूप में दर्ज किया गया । इंतकाल संख्या 157 दिनांक 8.12.2010 से हीरा की मृत्यु उपरांत विरासत से रामचंद्र,गोपाल वल्द हीरा खातेदार बने तद्उपरांत बैचान से इंतकाल संख्या 176 दिनांक 20.5.2011 द्वारा संपूर्ण आराजी शांतिदेवी पत्नि कन्हैयालाल रेगर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई । तत्कालीन खातेदार की आराजी के समीप ही स्थित साबिक आराजी नंबर 349 आबादी भूमि स्थित थी जिसमें वादीगण रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पुश्तैनी बाड़े/प्लाट थे जिसको वादीगण तत्कालीन समय से वर्तमान तक बाड़े के रूप में पशुओं आदि को बांधने तथा सामान रखने के रूप में उपयोग ले रहे थे । दौराने सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों ने साबिक आराजी नंबर 423 व 424 के नवीन खसरा नंबर 1128, 1129, 1130, 1131, 1140, 1141 कुल रकबा 0.60 है0 कायम किये जो साबिक रिकार्ड के मुकाबले नवीन रिकार्ड में 0.05 है0 भूमि अधिक दर्ज की गई । दौराने सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की आबादी भूमि में स्थित पुश्तैनी प्लाट की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की साबिक आराजी नंबर 424 में 0.05 है0 भूमि अधिक दर्ज कर हमारे पुश्तैनी प्लाटों को हाल रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के खाते में दर्ज कर दी जिसका भू–प्रबंध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था । अतः प्रतिवादीगण की साबिक आराजी के मुकाबले अधिक दर्ज की गई 0.05 है0 भूमि को पुनः प्रतिवादी संख्या 1 के खाते से हाल रिकार्ड में भूमि कम कर पुनः वादीगण के कब्जाशुदा आबादी भूमि में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 को पाबंद किया जावे कि उक्त वादग्रस्त रकबे का हाल रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जावे । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2012 को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाने पर विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने दिनांक 19.12.2013 को आदेश पारित कर यह निर्देश दिये कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण राज0भू–राजस्व अधि0 की धारा 136 के तहत प्रकरण को निर्णित किया है जिससे उक्त अधि0 के तहत पारित निर्णय की अपील का क्षैत्राधिकार भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा को नहीं है, यदि तथाकथित निर्णय गलत भी पारित किया गया है तो भी गुणावगुण पर इस न्यायालय में क्षैत्राधिकार नहीं होने से अपील का निस्तारण नहीं किया जा सकता है । अतः अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वह सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे । भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के उक्त निर्देशों के उपरांत अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 को अधी0न्याया0 के वाद का कोई सम्मन नहीं मिला था जिससे अपीलांट अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं रख पाये थे । अधी0न्याया0 ने भी अपीलांट की प्रोपर तामील हुए बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने मात्र 18 दिन में ही वाद दर्ज कर तामीलें जारी कर, बयान लेकर, बहस सुनकर निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिससे भी जाहिर होता है कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मिली भगत की जाकर की गई है । बहस में आगे कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 349 आबादी में दर्ज रिकार्ड थी जिसका रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा तथा दौरोने सेटलमेंट के बाद साबिक आराजी नंबर 349 आबादी के हाल नंबर 1127 रकबा 3.81 है0 दर्ज हुए जबकि आबादी हाल आराजी नंबर 1127 रकबा 3.76 है0 दर्ज होनी चाहिये थी इस प्रकार आबादी भूमि का रकबा दौराने सेटलमेंट 0.05 है0 कम दर्ज नहीं होकर अधिक दर्ज हुआ है जो मिलान खसरे से साबित था किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी व आबादी की भूमि के बीच में रास्ता दर्ज रिकार्ड है । इस प्रकार बीच में रास्ता दर्ज होने से किसी भी प्रकार आबादी भूमि प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट के नाम दर्ज नहीं हो सकती थी । अधी0न्याया0 ने राजस्व नक्शे को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3. 2012 निरस्त की जावे ।

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 14 व 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने अधिवक्ता की राय लेकर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनाक 21.3.2012 के विरूद्ध भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में समयावधि में अपील प्रस्तुत कर दी थी किन्तु भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 19.12.2013 को प्रदान कर अपील श्रवणाधिकार में नहीं होने से अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाने के आदेश पारित किये। तत्पश्चात् अपीलांट ने भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर, खर्चे आदि की व्यवस्था

कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 की आबादी भूमि का रकबा 0.05 है0 दौराने सेटलमेंट कम किया जाकर अपीलांट के रकबे में शामिल कर दिया गया था जिसकी दुरूस्ती हेतु रेस्पो0 ने तहसीलदार से इस इंद्राज को दुरूस्त कराने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार ने अधिकार क्षैत्र में नहीं होने से मना कर दिया जिस पर रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था । सेटलमेंट विभाग को रेस्पो0 की भूमि के रकबे को कम करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । अपीलांट की खरीदशुदा हाल आराजी में रकबा 0.05 है0 भूमि अधिक दर्ज होना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने के कारण ही अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 का वाद स्वीकार किया है जिसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दू पर किसी भी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । न्यायहित में हम अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि अधी0न्याया0 में अपीलांट को वाद के सम्मन तामील नहीं हुए तथा अधी0न्याया0 ने एकतरफा में अपीलांट के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलांट को अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 2.3.2012 में जरिये सम्मन तलब किये जाने का उल्लेख अवश्य है किन्तु पत्रावली में ऐसे कोई सम्मन/नोटिस जारी होने संबंधी साक्ष्य अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा भी इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के क्रम में अपीलांट/प्रतिवादी को सम्मन जारी किये जाने संबंधी नोटिस उपलब्ध नहीं होने की बात स्वीकार की गई है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट की भूमि में 0.05 है0 भूमि अधिक दर्ज होना मानकर अपीलांट के खाते में से 0.05 है0 भूमि कम की जाकर वादी/रेस्पो0 के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने मात्र 18 दिवस में वाद को निर्णित किया है जो निश्चित

रूप से संदेहास्पद है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 के प्रकरण धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 को वाद की तरह निर्णित किया है किन्तु प्रकरण धारा 136 राज0भू–राजस्व का होने से अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को ही है । अधी0न्याया0 को प्रकरण को वाद की तरह निर्णित नहीं कर धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 के प्रावधानों के तहत निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण को वाद के रूप में निर्णित कर विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य सेटलमेंट के दौरान भूमि की कमी एवं अधिकता को लेकर विवाद है जिसका निस्तारण सेटलमेंट से पूर्व के रिकार्ड के अनुसार सीमाज्ञान उपरांत ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी पुष्टि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

8- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, आसींद, जिला भीलवाड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2012 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 02/2014 (2014/00023) बउनवानी शांतिदेवी बनाम मांगू को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, आसींद, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 44/2012 बउनवान मांगू बनाम शांतिदेवी में पारित निर्णय दिनांक 21.3.2012 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि सेटलमेंट से पूर्व के राजस्व नक्शे तथा आधार अभिलेख एवं हाल राजस्व राजस्व नक्शे का अवलोकन कर प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पो0 को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 के तहत गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.13 12:03:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: